

प्रेषक:-

आयुक्त ,  
नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी।

सेवा में,

राज्य सूचना आयोग, हरियाणा,  
चण्डीगढ।

क्रमांक 4959/RTI Act दिनांक 01/07/13

विषय:- **Regarding case No 4740 of 2012 – appeal under section 19 (3) of the RTI Act 2005.**

उपरोक्त विषय पर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग , चण्डीगढ के पत्र क्रमांक 14/12/2013-7सी 1 दिनांक 18.04.2013 के सन्दर्भ में।

सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के प्रवेश द्वारो पर वरिष्ठ नागरिको व निःशक्त व्यक्तियों की सुविधा को देखते हुए रैम्प व शौचालय की सुविधा भूतल पर की उपलब्ध करवाई हुई है। तथा सरकार के निर्देशा अनुसार निःशक्त व्यक्तियो को Barrier free सुविधा उपलब्ध है। इस कार्यालय के वर्तमान भवन में लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध न है। जब भी इस कार्यालय का नया भवन बनेगा तो लिफ्ट का प्रावधान किया जायेगा।

इस कार्यालय में जन सूचना अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत प्राप्त होने वाले सभी प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही भूतल पर ही की जा रही है।

कार्यकारी अधिकारी,  
कृत: आयुक्त,  
नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी।

पु0 क्रमांक 4960/RTI Act दिनांक 01/07/13

उपरोक्त की एक प्रति प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग , चण्डीगढ को सूचनार्थ प्रेषित है।

कार्यकारी अधिकारी,  
कृत: आयुक्त,  
नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी।